न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 15/2018 (225 आरटीए) खुमाराम वगै. बनाम श्रीमती अणची वगै.

(ऑन लाइन प्रकरण सं. 2018/00023)

1 खुमाराम पुत्र श्री केसरामराम,
2 रूपाराम पुत्र श्री केसराराम,
3 छगनाराम पुत्र श्री केसराराम,
4 शैतानराम पुत्र श्री केसराराम
सभी जातियान जाट निवासीगण कुशलावा तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती अणची पत्नी मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी कुशलावा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2 तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 18.01.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरिया।
3 रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 11.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016 पेश किया गया जिसमें ग्राम प्रेमनगर के खसरा नं. 398/3 व 398/4 कुल रकबा 30 बीघा भूमि रेस्पो. सं. 1 के खातेदारी की है। रेस्पो. सं. 1 की भूमि से पूर्व तरफ अपीलांट्स के खेत खसरा सं. 398 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके पूर्व में आम मार्ग चलता है। रेस्पो. सं.1 के खेत खसरा 398/3 व 398/4 में बनी ढाणी में आने जाने के लिए रेस्पो. के खेत खसरा सं. 398 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में मार्क एबीसीडी में दर्शित रास्ता का वर्षों से उपयोग करती आ रही है उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

रास्ता कदीमी है तथा आज रोज तक मौजूद है। उपरोक्त रास्ते से ही प्रार्थिया व उसका परिवार पेयजल पशुधन का आगमन होता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थिया का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।यही रास्ता प्रार्थिया का अपने खातेदारी खेत खसरा सं. 398/3 व 398/4 की भूमि तक आने जाने का आत्यांतिक रास्ता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तामील पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाई गई। दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश रिकार्ड पर मौजूद मैटेरियल से परे जाकर पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी तरह की कोई संबंधित खसरा नं. के पड़ोसियान की साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई। मात्र मौके की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कानूनन यथावत रखे जाने योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने जबाब में उज्र लिए गए वैकल्पिक रास्ते बावत किसी तरह की कोई जांच नहीं की जबकि धारा 251ए के तहत जब तक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तब तक नए रास्ते की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा स्वयं रेस्पो. ने अपने प्रार्थना पत्र में पुराने कदीमी रास्ते को रोकने के आधार पर खुलवाने का कह कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार से स्वयं रेस्पो. का प्रार्थना पत्र विरोधाभाषी होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पो. को किसी तरह से आत्यांतिक रास्ते की जरूरत नहीं हैं। इसलिए भी धारा 251ए के तहत आदेश पारित नहीं किया जा सकता। रेस्पो. के पास मुख्य रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध होते हुए भी इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय से छुपाया एवं न ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच की। वास्तव में अपीलांट के खसरा नं. 398 में से दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ जम्भेश्वर मंदिर जाने हेतु रास्ता अधिग्रहित किया जा चुका है। अब रंजिशवश कार्यवाही करते हुए रेस्पो. ने अपीलांट के खेत को पूर्णतया छिन्न भिन्न करने की नीति से रेस्पो. के पास रास्ता मौजूद होने के बावजूद यह गलत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 398/1/1 लगते आम रास्ते के बाबत पड़ोसियों के बयान लेने बाबत आग्रह किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते की जांच नहीं किए जाने एवं प्रकरण विरोधाभाषी एवं धारा 251ए काश्तकारी

अधिनियम के तत्वों की परिधि में नहीं आने के कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पो. का अगर कोई पूर्व में रास्ता चल रहा होता है और अगर अपीलांट के द्वारा रास्ते का अवरोध किया जाता तो उसके लिए रेस्पो. को धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी एवं ग्राम पंचायत की 45 दिन की अवधि के पश्चात तहसीलदार द्वारा ऐसे किसी रास्ते के बाबत आदेश पारित होते। लेकिन चूंकि वास्तव में अपीलांट के खसरे में से रेस्पो. के लिए कोई रास्ता चल ही नहीं रहा था इस लिए उक्त समस्त दुराग्रह से कार्यवाही करते हुए रास्ते के अधिग्रहण बाबत विरोधाभाषी कार्यवाही की गई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित रूप से रास्ता दिखाया गया है इससे स्पष्ट है कि मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं। और धारा 251ए के प्रार्थना पत्र में पूर्व में रेस्पो. ने पूर्व में रास्ता चलने बाबत एवं अपीलंट द्वारा ऐसा मार्ग रोके जाने बाबत झूठे कथन किए हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में मौके पर मौजूद यथास्थिति की एवं वैकल्पिक रास्ते की सही स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं होने के कारण व बिना साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरिया ने बहस में कथन किया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अभिलेख में दर्ज रास्ते हों तो तभी ग्राम पंचायत में सुनवाई किए जाने के प्रावधान हैं। इस प्रकरण में जो रास्ता है वह केवल सहमति आने जाने के लिए है रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। मूल खसरा 398 में से जमीन खरीदी गई है अतः खरीददार से सहमति के आधार पर आना जाना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच बाद एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। जिसकी पालना में रेस्पो. द्वारा राशि जरिए डी.डी. के जमा करा दी है। रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते हेतु 30 फिट चौड़े रास्ते की मांग की जिसकी जगह 13 फिट रास्ता ही दिया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर भी कोई आपत्ति नहीं की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6 रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दुदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। अतः उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रकरण धारा 251 का है, धारा 251ए के तहत कवर नहीं होता है। लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क इसलिए मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि

अपील के आधार के बिंदु संख्या 8 में स्पष्ट किया है कि चूंकि वास्तव में अपीलांट के खसरे में से रेस्पोडेंट के लिए कोई रास्ता चल ही नहीं रहा था इसलिए उक्त समस्त दुराग्रह से कार्यवाही करते हुए रास्ते के अधिग्रहण बाबत की गई है। अतः अपीलांट स्वयं ने पूर्व से रास्ता विद्यमान होना नहीं माना है तो इस प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधान लागू होते हैं। रेस्पो. संख्या 1 ने भी यही कथन किया है कि कोई रास्ता नहीं हैं सहमति से आना जाना करते हैं। अतः इस न्यायालय की राय में प्रकरण धारा 251ए के तहत कवर होता है।

अपीलांट ने दूसरा तर्क यह किया है कि वैकल्पिक रास्ता होते हुए रास्ता नहीं दिया जा सकता है। रेस्पो. सं. 1 के खसरा नं. 398/3 व 398/4 के लिए 398/1/1 की तरफ से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट किया है कि "*प्रार्थी के खसरा नं. 398/3 व 398/4 के लिए ग्राम प्रेम नगर की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई सीधा कटाणी मार्ग नहीं पाया जाने से तहसीलदार लोहावट की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है।*" अधीनस्थ न्यायालय की उक्त फाइडिंग की पुष्ठि राजस्व नक्शों से भी होती है। जहा तक अपीलांट का कथन है कि खसरा नं. 398/1/1 की तरफ से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है वह किसी राजस्व रिकॉर्ड या अन्य किसी रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपीलांट का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

9 उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है अतः इस न्यायालय स्तर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2018 यथावत रखा जाता है।

11/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर